जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कटिहार

मनरेगा योजना अन्तर्गत सामग्री अधिप्राप्ति के लिए आपूर्तिकर्त्ता चयन हेतु सूचना।

Expression of Interest(अभिरूचि की अभिव्यक्ति)

इच्छुक सामग्री आपूर्तिकर्त्ताओं हेतु निम्न शर्तों के तहत Expression of Interest (अभिरूचि की अभिव्यक्ति) आमंत्रित की जाती है–

1. बिहार वित्त नियमावली 2005 एवं यथा संशोधित प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य होगा ।
2. किसी भी सामग्री के लिए न्यूनतम दर का आकलन करने हेतु सामग्री की दर + एप्लिकेवल टेक्सेस + गन्तव्य प्रखंड/पंचायत स्थल पर ढुलाई पर होने वाले व्यय के योग के आधार पर ही निर्धारण करना आवश्यक होगा।
3. जी0एस0टी0 एक्ट के प्रावधान के अनुसार भेंडर के टर्न ओवर के सीमा के आधार पर जी0एस0टी0 का निबंधन एवं धारा 51 के अंतर्गत जी0एस0टी0 ऑन टी0डी0एस0 श्रोत पर कटौती आवश्यक होगी।
4. किसी भी परिस्थिति में जी0एस0टी0 एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जाना होगा।
5. सामग्री मद में भुगतान के लिए मनरेगा मार्गदर्शिका एवं समय–समय पर दिये जानेवाले विभागीय निदेश का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
6. निविदा के साथ जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाणपत्र, पेन कार्ड, तीन वर्ष का Income Tax Return एवं विगत तीन वर्षों का Audited Balance Sheet संलग्न करना है। (नये फर्म/भेंडर के लिए यह शर्त अनिवार्य नहीं होगा।)
7. Income Tax Act 1961 के Applicable Section के अनुसार श्रोत पर TDS की कटौती आवश्यक होगी, ताकि Income Tax Act के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो।
8. आपूर्तिकर्त्ता की फौजदारी/दीवानी मामला एवं काली सूची में नाम दर्ज नहीं होने संबंधी नोटरी पब्लिक या कार्यपालक दंडाधिकारी से शपथपत्र मूल में देना अनिवार्य होगा।
9. कोई भी निविदा का दावा जिला न्यायिक क्षेत्र के अधीन होगा।
10. तुलनात्मक विवरणी के आधार पर भेंडर्स को एक वर्ष के लिए नरेगा साफ्ट (MIS) पर सूचीबद्ध किया जायेगा।
11. उच्चाधिकारियों के द्वारा समय–समय पर भौतिक निरीक्षण के दौरान आपूर्तिकर्त्ता द्वारा आपूरित सामग्री मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने पर आपूर्तिकर्त्ता की पंजीकरण समाप्त कर दी जाएगी।
12. इच्छुक प्रतिष्ठान द्वारा द्विलिफाफा प्रणाली के तहत तकनीकी विवरणी एवं वित्तीय विवरणी अलग–अलग लिफाफा में रखते हुए एक बड़ा लिफाफा में सीलबंद कर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कटिहार को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना होगा।
13. किसी भी भेंडर का मनरेगा एम0आई0एस0 पर पंजीकरण होना उनको **आपूर्ति की गारंटी नहीं होगी**।
14. चयनित आपूर्तिकत्ताओं से एक से अधिक प्रखंड/पंचायतों के लिए आवश्यकता अनुसार कार्य लेने का निर्णय कमिटी के द्वारा तय होगी।
15. सामग्री की विशिष्टियों के अनुरूप दर अंकित करना है। (सामग्री की विशिष्टियों के अनुरूप अधिकतम दर संलग्न है)
16. गेवियन का प्रकार –
    (क) गेवियन बॉस का बना होगा
    (ख) गेवियन चार भाग में होगे जिसकी चौड़ाई 2 फीट एवं ऊचाई 4 फीट होगी प्रत्येक भाग में Horizontal एवं Vertical बत्ता की चौड़ाई 02 इंच एवं मोटाई 0.5 इंच होगी।
    (ग) प्रत्येक भाग (जाफरी) Horizontal एवं Vertical में बॉस बत्ता 02 इंच कांटी से तैयार किया जायेगा।
    (घ) प्रत्येक गेवियन 04 बॉस के खम्बे जिसका मोटाई 03 इंच एवं ऊचाई 05 फीट लंबा होना चाहिये। प्रत्येक गेवियन बॉस के खम्बे से तार या प्लास्टिक रस्सी से बंधा होना चाहिए।
    Secure के अनुसूचित दर अन्तर्गत गेवियन का Installation कार्य सम्मिलित है।
17. आपूर्तिकर्त्ता निबंधित नर्सरी के रूप में नामित होने चाहिये।
18. पौधे का विवरण – पौधे का ऊँचाई न्यूनतम 3 फीट होना चाहिये। प्रत्येक पौधे Polythin Bag में नर्सरी किया हुआ होना चाहिये। पौधे का तना की मोटाई हाथ के अगुठे की मोटाई

के न्यूनतम समतुल्य होना चाहिए। secure अनुसूचित दर के अनुसार पौधे की दर निम्नवत है –

(I) काष्ट जनित पौधा – 15 रूपया ढ़ूलाई एवं अन्य सभी कर सहित।

(II) फलदार पौधा – 35 रूपया ढूलाई एवं अन्य सभी कर सहित। उक्त दर पौधे की आपूर्ति की अधिकतम दर है।

19. इसकी विस्तृत जानकारी हेतु जिला के वेबसाईट www.katihar.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है। समय–समय पर भौतिक सत्यापन में यदि भेंडर सही नहीं पाया गया तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

उप विकास आयुक्त,
कटिहार।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कटिहार

(अल्पकालीन आमंत्रन)

- विज्ञापन दाता– उप विकास आयुक्त, कटिहार
- कागजात जमा करने की तिथि एवं समय :– सूचना प्रकाशन की तिथि से .... के अपराहन् 3.00 बजे तक।
- कागजात जमा करने का स्थान :– जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कटिहार।
- कागजात सवीक्षा की तिथि :– .... के अपराह्न 3.00 बजे।
- संवीक्षा का स्थल :– उप विकास आयुक्त, कटिहार के कार्यालय प्रकोष्ठ में।
-

उप विकास आयुक्त,
कटिहार।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
डी0आर0डी0ए0, कटिहार।

निदेशक,
डी0आर0डी0ए0, कटिहार।

उप विकास आयुक्त,
कटिहार।